>

Title: Need to implement reservation policy for SCs, STs and OBCs in Central Educational Institutions.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति जी, सरकार द्वारा देश के विभिन्न केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से नियुक्ति के लिए किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए केंद्रीय शिक्षण संस्थान भर्ती में आरक्षण अधिनियम - 2006 के तहत केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में सीटों में वृद्धि की गई थी। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित अन्य सभी विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में आरक्षण का घोर उलंघन हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध छात्रों की प्रवेश परीक्षा में लगातार तीन वर्षों से नियमावली का उलंघन किया जा रहा है। कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण का कोई प्रकोष्ठ भी नहीं बनाया गया है जिसके चलते इन पर नज़र रखना कठिन है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य प्रशासनिक स्तर पर होने वाली नियुक्ति के लिए **...**(व्यवधान) व पिछड़े पदों, अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण के पद सुनिश्चित किए गए हैं, उनको सामान्य श्रेणी से भरा जा रहा है। **...**(व्यवधान)

सभापति जी, मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आरक्षण के लिए कुल निर्धारित सीटें, जो पदों की नियुक्तियां है, उनमें गड़बड़ी कर के सामान्य पदों से भरा जा रहा है, उसको न भरा जाए। **...**(व्यवधान)